

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री सत्य नारायण गोविंद हायर सेकेंडरी स्कूल

मण्डलपुर - हारद्वार

पत्रांक:

उ०वि०शि०प०/मान्यता-20/9/ 1110-16 /2007-08/दिनांक: 11/01/2008

विषय:

आपका इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/अतिरिक्त विषय की मान्यता के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 301/XXIV-4/2007 दिनांक 03 जुलाई, 2007 द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इण्टर स्तर पर नवीन/अतिरिक्त वर्ग/अतिरिक्त विषय में वित्तिविहीन मान्यता प्रदान किये जाने के आदेश हुए हैं।

- 1- सम्बन्धित विद्यालय की प्रबन्ध समिति भविष्य में अनुदान की मांग नहीं करेगी।
- 2- कक्षा-कक्ष, उपकरण एवं साज-सज्जा इत्यादि की व्यवस्था मानकानुसार उपलब्ध हो।
- 3- निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले योग्य अध्यापकों की व्यवस्था प्रबन्ध समिति द्वारा स्वयं के व्यय/संसाधनों से की जाय।
- 4- निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कर दिया जाय।
- 5- इन संस्थाओं को पूर्व में शासन/परिषद द्वारा निर्गत मान्यता पत्र में इंगित पिछले सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति संस्थाओं द्वारा कर ली गई हो।
- 6- सम्बन्धित विद्यालय द्वारा शासन के प्रचलित नियमों एवं भविष्य में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय द्वारा उक्त 6 बिन्दुओं का पालन नहीं किया जाता है तो उसकी मान्यता निरस्त की जायेगी।
- 8- उक्त बिन्दु 01 से 07 के सम्बन्ध में शपथ पत्र परिषद द्वारा सम्बन्धित विद्यालय की प्रबन्ध समिति से प्राप्त किया जायेगा।

उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 301/XXIV-4/2007 दिनांक 03 जुलाई, 2007 के आलोक में विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र दिनांक 03.01.08 के आधार पर परिषद की वर्ष 2010 की इण्टर परीक्षा नवीन/अतिरिक्त वर्ग-हिन्दी/अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, नागरिक शांति, इतिहास एवं भूगोल की मान्यता निर्गत की जाती है।

रविवार

भवदीय

11/1/08

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)

पृ०प०/उ०वि०शि०प०/मान्यता-20/9/

/2007-08 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, हारद्वार।
- 2- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, मण्डलीय शिक्षा, नैनीताल।
- 3- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- इण्टर परीक्षा/कम्प्यूटर अनुभाग।

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)
11/1/08

प्रमुख,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

उत्तराखण्ड,

प्रबन्धक,

श्री सत्य नारायण मन्दिर इण्टर कॉलेज

मखमपुर - हरिद्वार ।

पत्रांक :

उ०वि०शै०प० / मान्यता /

320-26 / 2009-10 / दिनांक 04 जुलाई, 2009

विषय :

इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए ~~अतिरिक्त~~ अतिरिक्त वर्ग / अतिरिक्त विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

प्रतिपक्ष,

शासनादेश संख्या 301/XXIV-4/2007 दिनांक 03 जुलाई, 2007 द्वारा निम्नलिखित प्रतिपक्षों के अधीन इण्टर स्तर पर ~~अतिरिक्त~~ अतिरिक्त वर्ग / अतिरिक्त विषय में वित्तविहीन मान्यता प्रदान की जाती है :-

- 1- सम्बन्धित विद्यालय की प्रबन्ध समिति भविष्य में अनुदान की मांग नहीं करेगी।
- 2- कक्षा-कक्षा, उपकरण एवं साज-सज्जा इत्यादि की व्यवस्था मानकानुसार उपलब्ध हो।
- 3- निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले योग्य अध्यापकों की व्यवस्था प्रबन्ध समिति द्वारा स्वयं के व्यय / संसाधनों से की जायेगी।
- 4- इन संस्थाओं को पूर्व में शासन/परिषद् द्वारा निर्गत मान्यता पत्र में इंगित पिछले सभी प्रतिपक्षों की पूर्ति संस्था द्वारा कर ली गई हो।
- 5- सम्बन्धित विद्यालय द्वारा शासन के प्रचलित नियमों एवं भविष्य में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 6- सम्बन्धित विद्यालय द्वारा यदि उक्त 5 बिन्दुओं का पालन नहीं किया जाता है तो उसकी मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 301/XXIV-4/2007 दिनांक 03 जुलाई, 07 के आलोक में विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र दिनांक 28.04.09 के आधार पर परिषद् द्वारा वर्ष-2011 की इण्टर परीक्षा से विज्ञान/अतिरिक्त विषयों में निम्नांकित विषयों की मान्यता निर्गत की जाती है :-

वर्ग व विषयों का विवरण

इण्टर स्तर पर विज्ञान वर्ग - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित
इण्टर स्तर पर अतिरिक्त विषय - संस्कृत, गृह विज्ञान।

भवदीय

५२
सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

प्रतिलिपि :-

उ०वि०शै०प० / मान्यता /

/ 2009-10 / दिनांक उक्त पत्र ।

निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
- 2- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल - पौड़ी।
- 3- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- इण्टर परीक्षा / कम्प्यूटर अनुभाग।

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)